राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या– 1820/2014..जिला.......अजमेर..

उनवान– श्री भगवानदास पुत्र श्री नाथूलाल जाति–सिन्धी,ब्यावर बनाम राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक,ब्यावर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.02.2016	एकलपीठ श्री ईश्वरी लाल वर्मा–सदस्य निगरानीकर्ता भगवान दास ने अपने अधिवक्ता श्री एस.के.सेठी के मार्फत प्रकरण को विड्रा करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पत्रावली पुनः पेशी पर ली गई। प्रार्थी निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री एस.के.सेठी अप्रार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के द्वारा निगरानी को चलाना नहीं चाहा है। इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को विद्ड्रा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है। अतः प्रार्थी निगरानीकर्ता को हस्तगत निगरानी **विदड्रा** करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 1820/2014/अजमेर जरिये विद्ड्रावल (Withdrawal) खारिज की जाती हैं। आदेश सुनाया गया। 12.02.2016 (ईश्वरी लाल वर्मा) सदस्य	